236

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 पुनरीक्षण

III/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2018/2200

1. गणेश पिता गयादीन राठौर
2. छत्रपाल पिता रामदास राठौर
   निवासीगण–अनूपपुर बस्ती,
   तहसील व जिला–अनूपपुर म.प्र.

विरूद्ध

1. कमला प्रसाद पिता भगवानदीन राठौर
2. लाला पुत्री स्व.बद्रीप्रसाद राठौर
3. माधुरी पुत्री स्व.बद्रीप्रसाद राठौर
4. मुन्नी पुत्री स्व.बद्रीप्रसाद राठौर
   पत्नी गणेश प्रसाद राठौर
   निवासीगण ग्राम–सेन्दुरी, हाल मुकाम बस्ती अनूपपुर
5. पद्मा उर्फ बूटी बाई पुत्री स्व.बद्रीप्रसाद
   पत्नी विश्वनाथ राठौर निवासी ग्राम–बलवहरा
   तहसील–जतहरी, जिला–अनूपपुर म.प्र.
6. पूजा पुत्री रामलाल राठौर
7. भारती पिता रामलाल राठौर
8. आरती पिता रामलाल राठौर
9. लक्ष्मी पिता रामलाल राठौर
10. विजेन्द्र राठौर पिता रामलाल राठौर
   7, 8, 9 एवं 10 नाबालिग पुत्र एवं पुत्रीया स्व.ऊषा बाई
   पत्नी रामलाल राठौर द्वारा संरक्षक पिता रामलाल राठौर
   निवासीगण बस्ती अनूपपुर, जिला–अनूपपुर
11. नानदाउ पिता गयादीन राठौर
12. सेखनी बाई बेवा रामदास राठौर
13. रामबाई पुत्री रामदास राठौर
14. समनू राठौर पिता बरहू राठौर (मृत)
15. कुअरियाबाई पति गिरधारी राठौर
   निवासीगण–धनगवां, तहसील–जैतहरी, जिला–अनूपपुर
16. सुन्दरीया बाई पिता विशाल राठौर
   ग्राम–चोरभटी, तहसील–जैतहरी, जिला–अनूपपुर
17. सुमित्रा बाई पत्नी गयादीन राठौर पत्नी भुरसू राठौर
   निवासी ग्राम–हर्री, तहसील व जिला–अनूपपुर
18. गणेशिया बाई पुत्री गयादीन राठौर पत्नी बालाप्रसाद
   राठौर निवासी ग्राम–सामतपुर,
   तहसील व जिला–अनूपपुर म.प्र.
19. कुवरिया बाई पति शिवकुमार राठौर
   ग्राम–बर्री तहसील व जिला–अनूपपुर म.प्र.

मुकेश बेलापुरकर, अभि० 4-4-18

9-4-18

4-4-18

Belapurkar 4/4/2018

2

अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 84/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 30/08/2017, 14/11/2017 तथा 05/02/2018 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं विचाराधिकार रहित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2. यह कि, तहसील न्यायालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाहीं करने के उपरांत आदेश पारित किया गया था अनावेदक क्रमांक–1 से 10 तक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तु अपील अत्यन्त समयवाधित थी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना समयवाधित अपील को ग्रहाय करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया गया है ऐसा आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील के प्रतिअपीलार्थीगण को संहिता की अनुसूची–1 के नियमो–11 से 16 के अंतर्गत सूचना पत्र निर्वाह कराने की नियमानुसार कार्यवाहीं नहीं की गयी, सभी प्रतिअपीलार्थीगण को दिनांक 30/08/2017 के लिये सूचना पत्र निकाले गये परंतु सूचना पत्र निर्वाह उपरांत अप्राप्त रहे जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र यह कारण दर्शाते हुये उक्त नियमो से पृथक जाकर समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन द्वारा निर्वाह कराया जाना आदेशित किया कि पक्षकारो की संख्या अधिक है अनुविभागीय अधिकारी की उक्त कार्यवाहीं नियमो के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि, आवेंदकगण ग्रामीण परिवेश के अनपढ़ ग्रामीण है जिन्हें समाचार पत्र के माध्यम से सूचना पत्र का निर्वाह किया जाना न तो न्यायोचित है और ना ही नियमानुकुल है प्रथमतः-यदि सूचना पत्र निर्वाह उपरांत प्राप्त नहीं हुये थे तब अनुविभागीय अधिकारी को अपने अधिकारो का प्रयोग कर सूचना पत्रो को निर्वाह उपरांत मंगाने के लिये निर्वाहकर्ता कर्मचारी को निर्देशित करना चाहिये था।

5. यह कि, संहिता की अनुसूची–1 के नियम–11 से 16 के पालन के पश्चात यदि सूचना निर्वाहित होना संभव नहीं हो सका था तब पक्षकारो को पंजीकृत डाक के माध्यम से सूचना पत्र प्रेषित करने चाहिये थे क्योंकि सभी पक्षकारो के निवास एवं उनके पते अपील ज्ञापन में वर्णित थे पंजीकृत डाक से सूचना पत्रो का निर्वाह न्याय दान हेतु उचित व स्वीकार योग्य प्रक्रिया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

3

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2018/2200 गणेश विरूद्ध कमलाप्रसाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 84/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 30-08-2017, 14-11-2017, 05-02-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-04-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 10.1.19
सदस्य